पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2005–06
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 ई0 (पौष 09, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–52

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... – ...	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	511–523	1600
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	183–186	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम प्रशिक्षण सेवायोजन वि० एवं प्रौ० विभाग

अधिसूचना

01 दिसम्बर, 2006 ई०

संख्या 322/VIII/06–440–करावीयो/2002–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006

भाग एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" और समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

3–परिभाषाएं–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तरांचल का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) "आयोग" से उत्तरांचल लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तरांचल राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तरांचल का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग–(1) सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(2) जब तक की नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति, प्रतिकर का हकदार नहीं होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात:–

(एक) चिकित्सा अधिकारी–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) मुख्य चिकित्साधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

6–आरक्षण–उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हतायें

7–राष्ट्रीयता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी का जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है, और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8–शैक्षिक अर्हतायें–सेवा में चिकित्साधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:–

अनिवार्य–(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०बी०बी०एस० की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता,

(2) राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तरांचल से पंजीकृत हो।

9–अधिमानी अर्हता–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र किया हो,

या

(तीन) औषधि, शल्य चिकित्सा, वक्ष रोग, स्त्री रोग विज्ञान, बाल रोग विज्ञान, विकृति विज्ञान, कान, नाक, गला, नेत्र विज्ञान, विकिरण विज्ञान, अस्थि रोग विज्ञान, त्वचा रोग, रति रोग और मनोरोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

10–आयु–सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11–चरित्र–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13–शारीरिक स्वस्थता–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा कर ले:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

14–रिक्तियों का अवधारण–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी–जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसको दी जायेगी।

भाग पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन के विहित प्रपत्र में होंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में, जो वह उचित समझे, अभ्यर्थियों को बुलायेगा जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की एक सूची, उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे; संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम श्रेष्ठता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-(1) मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) श्रम विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव या/सचिव;

(दो) कार्मिक विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का नहीं होगा;

(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल के ज्येष्ठतम सचिव चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा:

परन्तु जहाँ किसी श्रेणी के पद पर पदोन्नति एक से अधिक पोषण संवर्गों से की जानी हो तो व्यक्तियों की अपने-अपने पद पर उनकी मौलिक नियुक्तियों के दिनांकों द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में पात्रता के क्षेत्र में व्यक्तियों के नामों को रखकर पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी और जहाँ दो या अधिक व्यक्ति उस रूप में एक ही दिनांक को नियुक्त किए गये थे तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को सूची में ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार नाम रखने में उसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता में फेर बदल नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि पात्रता के क्षेत्र में कनिष्ठ व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी इस तथ्य के होते हुए भी, सम्मिलित किया जायेगा कि उसने स्वयं अपेक्षित अवधि की सेवा पूरी नहीं की है।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की एक सूची, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17-नियुक्ति-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जायेगा।

18-परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाये:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे, उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

19—स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ समय—समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए, आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

20—ज्येष्ठता—सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2003 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

21—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत् है :—

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी	10,000—15,200	01
2.	चिकित्साधिकारी	8,000—13,500	13

22—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी यदि उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना, वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का वेतन जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि में वेतन जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

23–पक्ष समर्थन–किसी पद पर सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

24–अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

25–सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में, लागू नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व, उस निकाय (आयोग) से परामर्श किया जायेगा।

26–व्यावृत्ति–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है।

परिशिष्ट

(नियम 4 (2) देखिये)

पदों की संख्या

क्र०सं०	पदों का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी	01	–	01
2.	चिकित्साधिकारी	13	–	13

आज्ञा से,

एस० राजू,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 322/VIII/06--440-ESI/2002**, dated December 01, 2006 for general information :–

NOTIFICATION

December 01, 2006

No. 322/VIII/440-ESI/2006--In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Employees State Insurance, Labour, Medical Service :–

UTTARANCHAL EMPLOYEES STATE INSURANCE, LABOUR, MEDICAL SERVICE RULES, 2006

PART I--GENERAL

1. Short title and Commencement--(1) These rules may be called the Uttaranchal Employees State Insurance, Labour, Medical Service Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service--The Uttaranchal Employees State Insurance, Labour, Medical Service is a State Service comprising Group "A" and Group "B" posts.

3. Definitions--In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context--

(a) "Appointing Authority" means the Governor of Uttaranchal;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) "Service" means the Uttaranchal Employees State Insurance, Labour, Medical Service;

(i) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(j) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II--CADRE

4. Cadre of Service--(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time,

(2) The Strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in the appendix :--

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may crete such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III--RECRUITMENT

5. Source of Recruitment--Recruitment to the various categories of posts in the Serice shall be made from the following sources:--

(1) **Medical Officer**--By direct recruitment through the Commission;

(2) **Chief Medical Officer**--By promotion on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, through department selection committee from amongst substantively appointed Medical Officers who have completed at least fifteen years of service on the first day of July of the year of recruitment.

6. Reservation--Reseration for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttaranchal shall be in accordance with the orders of the Governor in force at the time of recruitment.

PART IV--QUALIFICATION

7. **Nationality**--A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be--

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Director General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. **Academic Qqalifications**--A candidate for direct recruitment to the post of Medical Officer in the Service must possess the following qualifications :--

(a) M.B.B.S. degree from University established by law in India or a qualification recognized by Government as equivalent thereto.

(b) Registration with the State Medical Council, Uttaranchal.

9. **Preferential Qualifications**--A candidate who has--

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a "B" certificate of National Cadet Corps, or

(iii) obtained Post-graduate Degree/Diploma in Medicine, Surgery, Chest Diseases, Gynecology, Pediatrics, Pathology, Ear, Nose-Throat, Ophthalmology, Radiology, Orthopedics, Skin Diseases, Venereal Diseases and Psychiatry, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. **Age**--A candidate for direct recruitment to a post in the service must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and such other Categories as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

11. **Character**--The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons dismissed by the Union Government or State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. **Marital Status**--A male candidate who has more than one wives living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Fitness--No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a medical board :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. Determination of Vacancies--The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

15. Procedure for Direct Recruitment--(1) Application for being considered for selection shall be in the Performa prescribed in the advertisement issued by the Commission.

(2) The Commission shall having regard to the need for securing due representation of the Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under the rule-6 summon for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the Service. The number of names in the list shall be more (but not more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

16. Procedure for Recruitment by Promotion--(1) Recruitment by promotion to the posts of Chief Medical Officer, on the basis of merit, subject to the rejection of the unfit, through the Selection Committee comprising--

(i) Principal Secretary or/and Secretary to the Government in the Labour Department;

(ii) Principal Secretary/Secretary to the Government in the Personnel Department or an officer nominated by him, who shall not be below the rank of Joint Secretary to the Government;

(iii) Principal Secretary/Secretary to the Govt. Medical Health & Family Welfare, Uttaranchal;

The Senior most Secretary to the Government shall be the Chairman of the Selection Committee.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance with the Uttaranchal Promotion by Selection (for the Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003 and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper:

Provided that where promotion to any category of posts is to be made from more than one feeder cadres, eligibility lists shall be prepared by arranging the names of the persons in the field of eligibility in order of seniority as determined by the dates of their substantive appointments on their respective posts and where two or more persons were appointed as such on the same date, the persons older in age shall be placed higher in the lists. In so arranging the names, the *inter se* seniority of persons holding the same post shall not be disturbed:

Provided further that if a junior person is included in the field of eligibility, his senior shall also be included notwithstanding the fact that he himself has not put in the requisite period of service.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) and if considers necessary, it may also interview the candidates.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment and forward the same to the Appointing Authority.

PART V--APPOINTMENT PROBATION CONFIRMATION AND SENIORITY

17. Appointment--(1) The Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15 or 16 as the case may be

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted

18 Probation--(1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years

2 The Appointing Authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years

3 If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunity or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post if any and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with

(4 A probationer who is reverted or whose service is dispensed with under sub-rule 3 shall not be entitled to any compensation

5 The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher posts to be taken into account for the purpose of computing the period of probation

19 Confirmation--(1 Subject to the provisions of sub-rule 2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if--

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory

(b) his integrity is certified and

(c the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation

2 Where in accordance with the provisions of the Uttaranchal Government Servants Confirmation Rules 2002 as amended from time to time confirmation is also necessary the order made sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation

20 Seniority--The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules 2003 as amended from time to time

PART VII--PAY ETC

21 Scale of Pay--(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules are as follows

Sl No.	Name of Post	Scale of Pay	Sanctioned Posts
1.	Chief Medical Officer	10000-15200	01
2	Medical Officer	8000-13500	13

22 Pay during Probation--(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed

Provided that if the period of probation is extended on count of failure to give satisfaction such extension shall not account for increment unless the Appointing Authority directs otherwise

2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental rules

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise

3 The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State

PART VIII--OTHER PROVISIONS

23 Canvassing--No recommendations either written or oral other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration Any attempt on the part of a candidate to exert support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment

24 Regulation of other Matters--In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State

25 Relaxation from the Conditions of Service--Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission that Body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed

26. Savings--Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard

APPENDIX

[See Rule 4(2)]

Sl No	Name of posts	Number of Posts		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Chief Medical Officer	01	--	01
2.	Medical Officer	13	--	13

By Order,

S. RAJU,
Secretary

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 ई० (पौष 09 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

NOTIFICATION

December 08 2006

No 198/UHC/Admin A/2006--Pursuant to the Government Notification No 420 XX 3-55/CBI/2004 dated 07 12 2006 Sri B S Dugtal Addl District & Sessions Judge 1st Fast Track Court Dehradun will also preside over the Court of Special Judge Anti Corruption (C [illegible]) Uttaranchal U/S 3([illegible] and 4(2) of Prevention of Corruption Act 1988 with immediate effect.

By Order of the Court.

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

8/11 दिसम्बर, 2006 ई०

संख्या 198/XIV/5/प्रशा० अनु०–अ/2003–श्री बी० पी० जरगोला, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून को दिनांक 01 11 2006 से 24 11 2006 तक 24 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया

11 दिसम्बर, 2006 ई०

संख्या 199/XIII-c/11/प्रशा० अनु०–अ/2005–श्री बीर भान सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सप्तम त्वरित न्यायालय, देहरादून को दिनांक 20–11 2006 से 29–11 2006 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 19–11 2006 रविवार के अवकाश को प्रिफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

13/14 दिसम्बर, 2006 ई०

संख्या 203/XIV/82/प्रशा० अनु०–अ/2003–श्रीमती प्रीतु शर्मा, सिविल जज (अवर खण्ड), देहरादून को दिनांक 22–11–2006 से 02–12–2006 तक 11 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 03–12–2006 रविवार के अवकाश को सफिक्स करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तरांचल

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

24 नवम्बर, 2006 ई०

पत्रांक 3560/आयु० क० उत्तरां०/फार्म–अनु०/2006–2007/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम 85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005, नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र/फार्म सी/फार्म एफ/जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री तनिष्क कार गैलरी, हल्द्वानी	फार्म–सी–01	वैट यू0ए0सी0–2005डी 000780
2.	सर्वश्री गलवालिया इस्पात उद्योग प्रा०लि०, काशीपुर	फार्म–सी–10	130201 से 130210 तक

25 नवम्बर, 2006 ई०

पत्रांक 3610/आयु० क० उत्तरां०/फार्म–अनु०/2006–2007/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम 85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005, नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र/फार्म सी/फार्म एफ/जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री न्यू ब्रिन्दल इन्टरप्राइजेज, पटेल चौक, हल्द्वानी	फार्म–सी–01	यू0ए0/सी0–2001 क्रमांक–256877

न्याय विभाग

विज्ञप्ति

13 दिसम्बर, 2006 ई०

संख्या 1630/XXXVI(1)/06-32जी/01-टी०सी०-II-उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 20-एक(9)/छत्तीस(1)-चा०अनु०/2005, दिनांक 25 जुलाई, 2005 द्वारा जिला न्यायालय देहरादून में सृजित फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद पर पुनर्नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यरत श्री वीरभान सिंह को उनके अनुरोध पर मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय के परामर्श से तत्काल प्रभाव से उनके इस पद से त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आर० डी० पालीवाल,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 52 हिन्दी गजट/629-भाग 1-2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

30 नवम्बर, 2006 ई०

पत्रांक 3673/आयु० क० उत्तरां०/फार्म–अनु०/2006–2007/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम 85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005, नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र/फार्म सी/फार्म एफ/जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि०, काशीपुर।	फार्म–16–01	U.A. VAT-A 2005 क्रमांक 039920
2.	सर्वश्री एस०के० इलेक्ट्रोविजन प्लाट सं०–90, आवास विकास, रुद्रपुर	फार्म–16–01	U.A. VAT-A 2005 क्रमांक 249703

एस० रामास्वामी,
आयुक्त कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तरांचल
शिविर, देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

06 जुलाई, 2006 ई०

पत्रांक–उ०कृ०शि०/1409/स्था०/क०अभि०/संगठन पत्रावली/05–06–कृषि विभाग, उत्तरांचल के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंताओं को शासनादेश संख्या–1661/47–शा०–4–44/85, दिनांक 11–3–91 के प्राविधान के अनुपालन में उन्हें उनकी 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर श्रेणी–2 के पद का वेतनमान रु० 8000–13500 अनुमन्य कर दिये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है:–

राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इन कनिष्ठ अभियंताओं के वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी और न ही उनकी ज्येष्ठता प्रभावित होगी।

क्र०सं०	कनिष्ठ अभियंता का नाम	कनिष्ठ अभियंता के पद पर योगदान की तिथि	24 वर्ष की सेवा पर वेतनमान 8000–13500 स्वीकृति का दिनांक
1.	श्री श्याम लाल मेहता	20–01–78	20–01–2002
2.	श्री शशि कुमार ध्यानी	01–08–78	01–08–2002
3.	श्री धेतेन्द्र पाल सिंह	01–08–78	01–08–2002
4.	श्री रमेश कुमार बाटला	17–01–80	17–01–2004
5.	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	02–02–80	02–02–2004
6.	श्री रवीन्द्र कुमार खुल्बे	05–02–80	05–02–2004
7.	मो० इमरान अन्सारी	07–02–80	07–02–2004
8.	श्री पंकजा नन्द हटवाल	10–11–80	10–11–2004
9.	श्री राजेन्द्र पाल सिंह	06–12–80	06–12–2004

कार्यालय ज्ञाप

06 दिसम्बर, 2006 ई०

पत्र संख्या–कृ०नि०/4547/क०अभि०/संगठन पत्रावली/2006–07–कृषि विभाग, उत्तरांचल के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंताओं को शासनादेश संख्या–1861/47–क०–4–44ई०ए०/85, दिनांक 11–3–1991 के प्राविधानों के अनुपालन में उनकी 16/14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर श्रेणी–2 के पद का वेतनमान रु० 8000–275–13500 अनुमन्य कर दिये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है:–

राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इन कनिष्ठ अभियंताओं के वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी और न ही उनकी ज्येष्ठता प्रभावित होगी।

क्र०सं०	कनिष्ठ अभियंता का नाम	कनिष्ठ अभियंता के पद पर योगदान की तिथि	16/14 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रु० 8000–275–13500 स्वीकृति का दिनांक
1.	श्री आबिद अली उस्मानी	03–06–1983	01–04–2001
2.	श्री इन्दल सिंह निरंजन	05–12–1983	01–04–2001
3.	श्री हरेन्द्र सिंह मोज	17–02–1982	01–04–2001
4.	श्री राम केवल आजाद	02–09–1983	01–04–2001

मदन लाल,
कृषि निदेशक, उत्तरांचल।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

07 दिसम्बर, 2006 ई०

पत्रांक 988/ल०सिं०/स्था०(व्या०प०)/2006–07–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरांचल शासन, लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 748/II–2006–01(67)/2004, दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 एवं मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून के आदेश संख्या 1039/ल०सिं०/स्था०–1/2006–07, दिनांक 07–12–2006 के क्रम में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार आज दिनांक 07–12–2006 के अपराह्न में ग्रहण कर लिया है।

प्रतिहस्ताक्षरित,
एस० ए० असगर,
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यभार ग्रहण करने वाला अधिकारी,
रविन्द्र प्रसाद,
अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 52 हिन्दी गजट/629–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।